मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)
परिशिष्ट घ संख्या क–1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

अधिकारी : मनोज कुमार मीना आरएएस कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत चक महाराजका

वाद : 26 / 2022

वादीगण : .....

1. सुनील पुत्र श्री राकेश जाति जाट उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर

—वादी

1. राकेश कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. भावना पुत्री श्री राकेश भूंवाल जाति जाट निवासी ग्राम मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 53, 88 राज. काश्त. अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांकः— 25.05.2022

वादी और प्रतिवादीगण उपस्थित। वादी, प्रतिवादीगण एवम् पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद के आज अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि:—

वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा दिनांक 24.05.2022 का **डिक्री का भाग पढ़ा जावे।**

वाद खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 26.5.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

26/5/22

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
वकालत नामा के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
अर्जी के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
अर्जी पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	0
साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	0	5. आदेशिका की तामील	0
आदेशिका की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
आदेशिका की तामील	0		
जोड़	0	जोड़	0

26/5/22

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.11.04 12:40:19 IST
Reason: SelfAttested